न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 135/2019 (Bank Case)

"मुथुट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि–682018 तथा शाखा कार्यालय–यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाडिया टावर, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह राठौड – प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. संदीप सेठी (ऋणी / बंधककर्ता)
पता– फ्लेट नं0 505, 5 फ्लोर, सिटी सेन्टर हाईट्स, बजरंग नगर, कोटा, राजस्थान 324007
दुसरा पता– निवासी– ए यू फाईनसयर, बारन कोटा रोड, एच.डी.एफ.सी. बैंक के सामने, बारन कोटा राजस्थान 325205
तीसरा पता–फ्लेट नं. 505, 4 फ्लोर, एवरेस्ट टावर, सिटी सेन्टर हाईटस, बजरंग नगर, कोटा, राजस्थान 324007

3. श्रीमति सोनिया संदीप सेठी (सहऋणी)
पता– फ्लेट नं0 505, 5 फ्लोर, सिटी सेन्टर हाईट्स, बजरंग नगर, कोटा, राजस्थान 324007
दुसरा पता–फ्लेट नं. 505, 4 फ्लोर, एवरेस्ट टावर, सिटी सेन्टर हाईटस, बजरंग नगर, कोटा, राजस्थान 324007 – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 03.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "मुथुट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि–682018 तथा शाखा कार्यालय–यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाडिया टाव, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 31.03.2017 को 12,72,029/– (अक्षरेःबारह लाख बहत्तर हजार उनतीस रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय फ्लेट नं0 505, 4th फ्लोर, एवरेस्ट टावर, सिटी सेन्टर हाईट्स, बजरंग नगर, कोटा (राजस्थान) 324007 में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 986 वर्गफीट हैं, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.5.2017 से अप्रार्थी श्रीमति सोनिया संदीप सेठी के नाम से है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 19.05.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 13,77,075/– (अक्षरे रूपये तेरह लाख सत्तर हजार पिचहत्तर मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.12.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में ''प्रातःकाल'' व अंग्रेजी में ''दी इण्डियन एक्सप्रेस'' में दिनांक 26.07.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 21.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में ''प्रातःकाल'' व अंग्रेजी में ''दी इण्डियन एक्सप्रेस'' में दिनांक 26.07.2019 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक21.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में ''प्रातःकाल'' व अंग्रेजी में ''दी इण्डियन एक्सप्रेस'' में दिनांक 26.07.2019 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि को अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आवासीय फ्लेट नं0 505, 4th फ्लोर, एवरेस्ट टावर, सिटी सेन्टर हाईट्स, बजरंग नगर, कोटा (राजस्थान) 324007 में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 986 वर्गफीट हैं, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.5.2017 से अप्रार्थी श्रीमति सोनिया संदीप सेठी के नाम से है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 03.12.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner